

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/स्वै.से.नि./2019-20

दिनांक:- 21/8/2020

::प्रारूप-6::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं, ने नियमानुसार दिनांक: 27.06.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम- 50(1) के प्रावधानानुसार निम्नांकित कार्मिक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम संख्या-06 में अंकित दिनांक से निम्नांकित कार्मिक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि	वांछित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती विनीता परिहार, रा.वा.उ.मा.वि. पुर्जला, जोधपुर	जीव विज्ञान	27.06.1964	23.03.1990	06.10.2020

- सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्यालयध्यक्ष उक्त कार्मिक से ऑडिट सम्बन्धित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिक की होगी, का सम्बन्धित से स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही करें।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती विनीता परिहार के विरुद्ध आज तक :-
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
 - कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)

आई ए एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 21/8/2020

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/स्वै.से.नि./2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबन्धित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
- संबन्धित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
- संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
- प्रधानाचार्य, रा.वा.उ.मा.वि. पुर्जला, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि संबन्धित कार्मिक से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का पचास रूपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- कार्मिक श्रीमती विनीता परिहार, रा.वा.उ.मा.वि. पुर्जला, जोधपुर।
- अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/एवी अनुभाग/ओएसी अनुभाग
- निजी/रक्षित पत्रावली।

1. राघुवत निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर